...ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
8.25	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे कार्य व्यस्ता अधिक होने से आदेश नही लिखा जा सका है। पत्रावली वास्ते आदेश मे दिनांक 16-9-25 को पेश हो।	
...-9-25	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण। मे उभय पक्ष की बहस पूर्व मे सुनी गई प्रार्थी का प्रा-पत्र अ-धा-138 RA का सिद्ध नही होने से खारिज किया जाता है विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठसीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 09/2024

1. मोहनलाल पिता मोतीलाल धाकड निवासी श्रीनगर तहसील बेगूँ
2. राधेश्याम पिता देवीलाल धाकड निवासी चंदाखेडी तहसील बेगूँ

प्रार्थीगण

बनाम

श्रीमान भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार साहब बेगूँ जिला चितौडगढ़

विपक्षी

उपस्थित ::– श्री अशोक शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थीगण

आदेश दिनांक :– 16.09.2025

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवन्यु एक्ट

प्रार्थना पत्र इस प्रकार से है कि मौजा शंभूपुरा प.ह. बिछोर में प्रार्थीगण की खातेदारी व क्बजे काश्त की कृषि आराजीयात राजस्व जमाबंदी संवत 2078 में अंकित है जिसका विवरण इस प्रकार है :–

खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
91	1809/348	3.0000

उपरोक्त वर्णित प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात पर प्रार्थीगण निरंतर रूप से काबीज होकर उपयोग उपभोग कर अपनी आजीविका चलाते आ रहे है। वर्णित कृषि आराजी संख्या 1809/348 रकबा 3.0000 हैक्टर भूमि के मौके पर प्रार्थीगण राजस्व रेकार्ड की जमाबंदी में अंकित रकबा 3.0000 हैक्टर पर प्रार्थीगण काबीज हो काश्त कर रहे है जो प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र से वर्णित आराजी का राजसव रेकार्ड में तरमीम की गई है। प्रार्थना पत्र में अंकित आराजी से लगती हुई आराजी संख्या 348 जो बिलानाम सरकार होकर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में दर्ज रेकार्ड है।

यह कि कलम संख्या एक में अंकित आराजी संख्या 1809/348 के आवंटन के मूल आराजी संख्या 348 होकर प्रार्थीगण की आराजीयात के बढते हुए नंबर कायम किये जाकर राजस्व रेकार्ड के नक्शे में तरमीम की गई वक्त तरमीम राजस्व कर्मचारियों की गलती से प्रार्थीगण की आराजीयात का रकबा 3.000 हैक्टर का राजस्व रेकार्ड में तरमीम नहीं करके 2.3400 हैक्टर का ही नक्शें में तरमीम कर दी गई है जबकि प्रार्थीग्ण का राजस्व रेकार्ड की जमाबंदी एवं मौके पर कब्जा काश्त 3.0000 हैक्टर पर निरन्तर निर्बाध रूप से शांति पूर्ण कब्जा काश्त है।

यह कि प्रार्थीगण का जमाबंदी में अंकित रकबे अनुसार काबीज हो काश्त कर रहे है लेकिन राजस्व कर्मचारियो की गलती से लिपीकीय त्रुटि से राजस्व रेकार्ड में नक्शे में तरमीम रकबा 3.0000 हैक्टर की नही होकर रकबा 2.3400 हैक्टर की हो रही है इस प्रकार जमाबंदी व राजस्व नक्शे में भिन्नता है इस कारण प्रार्थीग्ण की आराजी संख्या 1809/348 रकबा 3.0000 हैक्टर की तरमीम राजस्व रेकार्ड में जामबंदी में अंकित रकबे एवं प्रार्थीगण की मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार किया जाना आवश्यक है।

यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या एक में अंकित आराजीयात का राजस्व रेकार्ड की जमाबंदी में अंकित रकबा 3.0000 हैक्टर एवं प्रार्थीगण का जमाबंदी में अंकित रकबे के मुताबिक कब्ज काश्त चला आ रहा है लेकिन राजस्व कर्मचारियों की गलती एवं भूलवश राजस्व रेकार्ड के नक्शे में प्रार्थीगण की आराजी की तरमीम 3.0000 हैक्टर के बजाय 2.3400 हैक्टर कर दी गई जिसे जरिये शुद्धिकरण के जमाबंदी में अंकित रकबा एवं प्रार्थीग्ण का मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार राजस्व रेकार्ड के नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश है।

यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या एक मे वर्णित कृषि आराजीयात न्यायालय श्रीमान के क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में स्थित होने से प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान मे पेश है। भूमिधारी जी तहसीलदार साहब बेगूँ राजस्व रेकार्ड के नक्शे में तरमीम किये जाने में आवश्यक पक्षकार बनाये गये हैं।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना की कलम संख्या एक में वर्णित मौजा शंभुपुरा प.ह. बिछोर तहसील बेगूँ में प्रार्थीग्ण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1809/348 रकबा 3.0000 हैक्टर आराजीयात का राजस्व रेकार्ड की जमाबंदी में अंकित रकबा 3.0000 हैक्टर एवं प्रार्थीगण का मौके पर कब्जे काश्त अनुसार राजस्व रेकार्ड के नक्शे में रकबा 2.3400 हैक्टर है के बजाय 3.0000 हैक्टर जरिये शुद्धीकरण के तरमीम किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर वाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया. विपक्षी भूमिधारी तहसीलदार बेगूँ की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की कलम नं. 1,2 व 3 का जवाब इस प्रकार है कि कालम नं. 1,2 व 3 में वर्णित तथ्य प्रार्थी रिकोर्ड से स्वयं प्रमाणित करें।

यह कि कलम संख्या 4 का जवाब इस प्रकार है कि आराजी नम्बर 1809/348 रकबा 3.00 हैक्टर भूमि आवंटन हुई जिसका आवंटन ट्रेस अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम की गई जो कि सही है।

यह कि कलम संख्या 5 का जवाब इस प्रकार है कि आराजी नम्बर 1809/348 रकबा 3.00 हैक्टर जमाबंदी मे दर्ज रेकार्ड है। राजस्व नक्शे में भी रकबा 3.00 हैक्टर की ही तरमीम की गई है जो सही है।

यह कि कलम संख्या 6 से 9 कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि आवंटित आराजी की तरमीम आवंटन मिसल व नामान्तरण पर चस्पा ट्रेस अनुसार तथा जहॉ कब्जा सिपुर्द किया गया उसी अनुसार की गई। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र 136एल आर एक्ट का जवाब प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र 136एल आर एक्ट पर बहस उभयपक्ष की ध्यानपूर्वक सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस प्रार्थना पत्र के अनुसार ही करते हुए निवेदन किया कि हमारे खातेदारी की कृषि भूमि मौजा शंभुपुरा प.ह. बिछोर में आराजी संख्या 1809/348 रकबा 3.0000 हैक्टर हमारे कब्जे काश्त में है लेकिन राजस्व नक्शे में हमारे खातेदारी की कृषि भूमि की तरमीम रकबा 3.0000 हैक्टर नही कर रकबा 2.3400 हैक्टर की ही कर रखी है जिसे जरिये शुद्धी तरमीम कर सुधारे जाने का आदेश फरमावें।

बहस में विपक्षी भूमिधारी की ओर से अपनी बहस को जवाब अनुसार करते हुए कहा कि यह भूमि प्रार्थगण को जब आवंटन हुई थी उसी वक्त आवंटित भूमि का कब्जा सिपुर्द करते हुए नामान्तरण खोला जाकर नक्शाट्रेस में आंवटित भूमि की तरमीम की गई है जो सही तरमीम की गई है, वर्तमान नक्शा में भी प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि भूमि की आराजी तरमीम सही है। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र 136 एल आर एक्ट पर बहस सुने जाने के पश्चात प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज नकल जमाबंदी मौजा शंभुपुरा प.ह. बिछोर का अवलोकन किया गया, राजस्व रेकार्ड में आराजी संख्या 1809/348 रकबा 3.0000 हैक्टर भूमि के प्रार्थीगण खातेदार है, तथा नक्शाट्रे में आराजी संख्या 1809/348 की तरमीम अंकित की गई है। प्रार्थीगण किस आधार पर यह कह सकते है कि वर्तमान खातेदारी की कृषि भूमि की तरमीम राजस्व नक्शे में सही नहीं होकर कम तरमीम की गई है, जबकि तहसीलदार बेगूँ विपक्षी द्वारा अपने जवाब में यह अंकित किया है कि प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि भूमि मौजा शंभुपुरा की आराजी संख्या 1809/348 रकबा 3.0000 की तरमीम राजस्व नक्शे में की गई है।

प्रार्थीगण ने उक्त कृषि भूमि उन्हें आवंटित होने का तथ्य अंकित किया है लेकिन पूर्व का नामान्तरण व उस पर चस्पा नक्शाट्रेस को इस प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत नहीं कियां है, तो किस आधार पर यह तथ्य सही हो सकता है कि वर्तमान नक्शे में तरमीम गलत की गई है। प्रार्थीगण मौजा शंभुपुरा की बिलानाम राजकीय भूमि आराजी संख्या 348मी रकबा 1.9100हैक्टर भूमि जो हकि गै.मु. नजुल है मे से अपनी भूमि का रकबा बढाना चाहते है जो कि न्यायसंगत नहीं है। प्रार्थीगण को आवंटन कब हुआ कब उन्हे कब्जा सिपुर्द किया गया तथा नामान्तरण खोला जाकर उस पर आवंटित भूमि का राजस्व नक्शे में तरमीम जो की गई वह वक्त आवंटन सही की गई तो आज प्रार्थीगण कमी तरमीम का कथन किस आधार पर करते है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत दस्तावेज से सिद्ध नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट का दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 16.09.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
उपखण्ड अधिकारी,बेगूँ
जिला चितौडगढ़(राज.)